



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

न्यायाधीश-दि 13.09.2025

वाविप्रा जोन-4, वार्ड-नगवां की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा कार्यवाही सम्पादित की गयी। जोन-4, वार्ड-नगवां के अंतर्गत सददाम हुसैन पुत्र स्व० अहमद हाजी, द्वारा भवन संख्या-एन-13/35ए-163-बी, अराजी नं० 306, बूज एन्क्लेव

सरायसुरजन, वार्ड-नगवां, जिला-था त्परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा सील वाराणसी पर स्वीकृत मानचित्र सं० आदेश का उल्लंघन कर चोरी-छिपे ३३/५/22-23/1116 के विपरीत एवं रात्रि काल में निर्माण कार्य कराये लगभग 22.94 ई. 25.24 जाने के कारण पुनः अनाधिकृत ई. 579.00 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में निर्माण प्रारम्भ होने की शिकायत फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय निर्माण परिसर को आज दिनांक 12/09/2025 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम तथा पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।

न्यायाधीश-दि 13.09.2025

वीडीए जोन-1, वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी। वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत श्री मनोज पाण्डेय व श्री अनिल पाण्डेय, महाबीर रोड, अर्दली बाजार, भवन सं०-एस० 5/48-आर-3, वार्ड-सिकरौल जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20' 45" के माप में प्रथम तल का झुंड डालकर निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये सुनवाई का अवसर दिया गया, किन्तु पक्ष

सुनवाई तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ आम जन मानस से अपील की तदक्रम में पक्ष को अनुस्मारक पत्र गयी है कि वाराणसी विकास के माध्यम से अवगत कराया गया प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट कि शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत ही निर्माण कार्य करें। मौके पर जोनल काराये बिना किसी भी प्रकार का अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर निर्माण कार्य न करें अन्यथा की अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त उपस्थित रही। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा कार्यवाही की जायेगी।



: vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि0 13.09.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड-नगवां के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही



वाराणसी। जोन-4, वार्ड-नगवां के अंतर्गत सददाम हुसैन पुत्र स्व0 अहमद हाजी, द्वारा भवन संख्या-एन-13/35ए-

नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए दिनांक

163-बी, अराजी नं0 306, बृज एन्क्लेव सरायसुरजन, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर स्वीकृत मानचित्र सं0 VDA/BP/22-23/1116 के विपरीत लगभग 22.94 M. X 25.24 रु=579.00 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय तल पर सेटरिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 30प्र0

29.7.2024 को स्थल सिल कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया था छ परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा सील आदेश का उल्लंघन कर चोरी-छिपे एवं रात्रि काल में निर्माण कार्य कराये जाने के कारण पुनः अनाधिकृत निर्माण प्रारम्भ होने की शिकायत प्राप्त होने के कारण अनाधिकृत निर्माण परिसर को शुक्रवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम तथा पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

